अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

आ.कीकाट/रिमार्क
21/6/23

बिरदी चन्द वगैरह बनाम ऋचिका वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्याः 202/2023 (दूदू)

	श्री चन्दन सिंह एड्वोकेट	
21.6.23	बिरदीचन्द बनाम ऋचिका वगैरह (202/2023) यह अपील श्री चन्दन सिंह एडवोकेट ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,मौजमाबाद द्वारा प्रकरण संख्या 73/2022 में पारित आदेश दिनांक 08.07..2022 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई दर्ज रजिस्टर हों। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बहस प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 23.06.2023 को पेश हों। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र बहस में कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 08.07.2022 के विरूद्ध मान्नीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश की थी जिस पर मान्नीय न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया कि प्रकरण का एक माह में निस्तारण किया जावें, जिस पर अपीलांटस ने दिनांक 25.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू में उपस्थित होकर मान्नीय न्यायालय के आदेश की प्रति सहित आवेदन पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया, उसके उपरानत सुनवाई पेशी दिनांक 07.12.2022, दिनांक 17.12.2022, दिनांक 26.12.2022, दिनांक 16.01.2023 पेशीयॉ के उपरान्त भी मान्नीय न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं की गई। जिला कलक्टर,जयुपर के आदेशानुसार नवसृजित उपखण्ड न्यायालय मौजमाबाद में पत्रावली टांसफर होने से पर नवीन टी. आई. नम्बर 79/2023 दर्ज की गयी जिसमें पेशी दिनांक 01.03.20223, दिनांक 18.04.2023 की पेशियों पर भी सुनवाई नहीं की गई इसलिए मान्नीय न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2022 की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थीगण/अपीलांटस ने यह अपील मान्नीय न्यायालय के समक्ष पुनः पेश की है जिसमें हुई सदभाविक देरी क्षम योग्य हैं। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील मीमो में वर्णित देरी के कथनो को ही प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम समझा जावें तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद	
राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर कैम्प		

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

बिरदी चन्द वगैरह बनाम ऋचिका वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 202/2023 (दूदू)

अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट के प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये विलम्ब के कारण सद्भाविक व संतोषजनक होने के कारण न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते है।

अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात् प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। अभिभाषक अपीलाट ने दौराने बहस विवादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 व भूरा की संयुक्त कब्जे–काश्त संयुक्त क्रयशुदा आराजीयात है और सद्भावी क्रेतागण काबिज काश्त चले आ रहे है एवं उपयोग करते है अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट जो सद्भावी क्रेतागण है कि क्रय शुदा भूमि के सम्बन्ध में एक तरफा स्थगन आदेश जारी कर अपीलांट को उसके वैधानिक अधिकारो से रोकने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक भूल की है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण नम्बर 1 से 03 का विवादित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है न उनका कोई अधिकार है अपितु उक्त खसरा नम्बर की भूमि जिसके पूर्व नम्बर 271 थे एवं वर्तमान खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 अपीलांट/प्रतिवादीगण संख्या 01 से 02 एवं उनके उनके भाई हनुमान की खरीद शुदा है काबिज है मौके पर अपीलांटस की बोई फसल मौजूद है ऐसी स्थिति में प्राईमा फेसी केस व बेलेन्स ऑफ कनविनियन्स अपीलांट के हक में है रेस्पोडेन्ट के हक में कोई प्राईमा फेसी केस नही है ऐसी स्थिति में स्थगन जारी हरने से अपीलांट को रेस्पोडेन्ट/वादीगण संख्या 01से 03 बेदखल करने व जबरन कब्जा करने व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 2 अपीलांटस की बोई फसल काटने में व्यवधान करेगे जिससे अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी व मुकदमें बाजी बढ़ेगी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1लगायत 3 के पिता हनुमान ने बदनियतीपूर्वक जालसाली व धोखाधड़ी से रहन रखी आराजी का बेंचान कर नाजायज लाभ अर्जिज किया हनुमान ने जानबझूकर छल व कपटपूर्णक आशय से अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 01, 2 व उनके भाई भूरा से विक्रय के बहाने ढ़ाई लाख रूपये लेकर यह जानते हुए कि उक्त आराजी दो दिन पहले दिनांक 23.05.2005 को बैंक मे रहन रखी है दिनांक 25.05.2005 को अपीलांट व उनके भाई भूरा से अनाधिकृत लाभ अर्जिज करने की गरज से धोखाधड़ी की है जिसकी अपीलांट के भाई भूरा ने धारा 420 भा.द.सं0 के तहत् परिवाद अधीनस्थ न्यायालय में पेशकर थाना दूदू में एफ.आई.आर. नम्बर 234/2011 है। जिसमें न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि.दूदू द्वारा फौजदारी प्रकरण संख्या 66/2015 (585/2011) एन.सी.वी. नम्बर 382/2014 उनवानी सरकार बनाम हनुमान में हनुमान को दिनांक 2.05.20222 को दो साल का साधारण कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। अपीलांट विवादित भूमि के कब्जेकाश्त व खातदोर की खरीदशुदा आराजी है व क्रय दिनांक 25.05.2005 से काबिज चले आ रहे है इसलिए प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनो बिन्दू अपीलांटस के हक में बखूबी साबित है। उक्त भूमि हनुमान द्वारा अपीलांटस को रहन का तथ्य छिपाकर विक्रय करने के कारण नामान्तकरण नही खुला जिसकी आड़ में हनुमान ने अपने पुत्र शंकरलाल से वाद दायर कराकर दुरभिसंधी से वाद डिक्री कराकर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 के नाम रेकार्ड में अंकन कराकर अधीनस्थ न्यायालय

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

बिरदी चन्द वगैरह बनाम ऋचिका वगैरह ।

किस्म मुकदमा–225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्याः 202/2023 (दूदू)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के यहाँ वाद स्थायी निषेधाज्ञा का दायर कर एक तरफा में दिनांक 08.07.2022 को स्थगन प्राप्त कर लिया। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 73/2022 बउनवान ऋचिका बनाम बिरदीचन्द वगैरह पारित अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 08.07.2022 की क्रियान्विति स्थगित फरमायी जाकर वादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 03 को पाबंद फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग व फसल काटने आदि में व्यवधान पैदा न करें व अन्य से करावे।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के समक्ष प्रार्थना त्रप अस्थायी निषेधाज्ञा पर दिनांक 08.07.2022 को विवादित आराजी बाबत् मौके की यथास्थिति बनायी रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखंलदाजी नहीं करने के आदेश पारित किये है। अपीलांट ने उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध एक अपील न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 29.09.2022 को पेश की गई, जिसमें अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 03 को सुना जाकर दिनांक 01.11.2022 को अधीनस्थ न्यायालय उपख्याण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित की गई वे पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का 30 दिवस में (सप्ताह भर की चार तारीख पेशी दी जाकर) में निस्तारण करें। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्षकारान को दिनांक 18.11.2022 को उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण नहीं किया जाकर विचाराधीन रखा हुआ जबकि प्रार्थीगण/अपीलांटस विवादित खसरा नम्बर 271 जिसके नए खसरा नम्बर 575 रकबा 1.8100 है0 है बेचान–पत्र दिनांक 25.05.2005 के आधार पर अपीलांट एवं उसके भाई भूरा का कब्जा बताया गया है। अपीलांटस विवादित आराजी के क्रेतागण है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,दूदू द्वारा दिनांक 08.07.2022 को एक तरफा में मौका की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलअंदालली नहीं करने का स्थगन जारी किया गया इसलिए अपूर्णीय क्षति अपीलांट का कारित होना प्रतीत होती है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 08.07.2022 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का आवश्यक रूप से 60 दिवस में निस्तारण करें तब तक विवादित आराजी के राजस्व रिकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 73/2022 मे पारित आदेश दिनांक 08.07.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का आवश्यक रूप से 60 दिवस में निस्तारण करें तब तक विवादित आराजी के राजस्व रिकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय का भिजवायी जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू के द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा पर आदेश किये जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूदू